

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लग्नस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्रान : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3463

दिनांक: 30/03/11.

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-
महाविद्यालय का नाम : एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, तिरुपति मोर्ट्स के पास, तानसेन रोड, ग्वालियर
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. सुधा शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, चाचौङा, गुजरात
2. डॉ. वीना शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, भिण्ड

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, तिरुपति मोर्ट्स के पास, तानसेन रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सम्मत प्रबंधनकार्य कुलसंचयित्र विभागीय
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जाते जा
ते हैं जिससे अब विभागीय के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर जदि पूर्ण ने प्रबंधनकार्य के नाम से हो तो वह क्रमांक एवं लिखाएं
अतः लिखा जावे लिखते लिखिए हो।



फ़ाइल : नूरीनगरी
फ़ोन : 0091-(0751) 2442801
(फ़िल्में)
2442462 (फ़िल्में)
फ़ैक्ट : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwi@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :-
कुलसंचय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/ 4946

दिनांक : 28/05/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय आधिकारिक विधायक 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्वर्गित कार्यपरिषद की
वैयक्त दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के लिए विर्णवाकुसार एवं आई.सी.टी. शिक्षा
महाविद्यालय, ग्वालियर को सन्त्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये
अन्वार्ड सम्बन्धता विकल शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय आवश्यक रूप से प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) में 30.06.2012
में करते हैं। अन्यथा अगले सत्र में सम्बन्धता वापिस लेने की कार्यवाही की
जावेगी।
2. पुस्तकालय में 6 जर्नल्स एवं रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।

आदेशाकुसार
Jmbs
कुलसंचय

प्राप्ति,

1. प्राचार्य, एवं आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर
2. संचित सार्वजनिक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, स्थानक विभाग, सतपुढ़ा भवन, भोपाल
3. आकुका, नव्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुढ़ा भवन, भोपाल।
4. केवीय अंतरिक्ष संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-कंबल संभाग, भोती नहल
परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसंचय (परीक्षा/ओपरेटर) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुवर्णार्घ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु।

RJL
उपकुलसंचय (सम्बन्धता)